न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 07 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 116

अनवान

1. आसु पुत्र हरचंद।
2. भगवानाराम पुत्र माला।
3. भेरा पुत्र हरचंद।
4. भागीरथ पुत्र हरचंद जाति विश्नोई, उम्र 69 वर्ष, निवासी विष्णुनगर बावरला, तहसील सांचौर।
5. वीरा पुत्र हरंचद के फौत कायम मुकाम–
   अ. नव रतन उम्र 48 वर्ष, निवासी विष्णुनगर (बावरला), तहसील सांचौर।
6. सुरता पुत्र माला, जाति विश्नोई, उम्र 55 वर्ष, निवासी विष्णुनगर (बावरला), तहसील सांचौर।
7. जगदीश पुत्र गोमदा, जाति विश्नोई, निवासी विष्णुनगर, बावरला तहसील सांचौर।
8. नरसिंगाराम पुत्र गोमदा, जाति विश्नोई, निवासी विष्णुनगर (बावरला), तहसील सांचौर
9. भारमल पुत्र गोमदा, जाति विश्नोई, निवासी विष्णुनगर (बावरला), तहसील सांचौर।
10. मांगीलाल पुत्र वीराराम, जाति विश्नोई, निवासी निवासी विष्णुनगर, बावरला, तहसील सांचौर।
11. मानाराम पुत्र गोमदा, निवासी विष्णुनगर (बावरला), तहसील सांचौर।
12. सायंती देवी पत्नी वीराराम, जाति विश्नोई, निवासी विष्णुनगर (बावरला) तहसील सांचौर।

प्रार्थीगण.....

1. गोकुल पुत्र हेमाराम, जाति विश्नोई, निवासी विष्णुनगर (बावरला), तहसील सांचौर।
2. जगदीश पुत्र हेमाराम, जाति विश्नोई, निवासी विष्णुनगर (बावरला), तहसील सांचौर।
3. हरिराम पुत्र हेमाराम, जाति विश्नोई, निवासी विष्णुनगर (बावरला), तहसील सांचौर।
4. रामलाल पुत्र फगलुराम के फौत कायम मुकाम –
   अ– मांगीलाल गोदपुत्र रामलाल जाति विश्नोई, निवासी विष्णुनगर (बावरला), तहसील सांचौर,
5. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

अप्रार्थीगण.....

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 04.07.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री धवलचंद विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या 4अ एकपक्षीय।
4. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

:– निर्णय :–

दिनांक :– 20.02.26

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद धारा 131 सपठित धारा 111, 128 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा विष्णुनगर, पटवार हल्का बावरला, तहसील सांचोर, जिला सांचौर स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त भूमि (खाता संख्या 149 एवं 39) के विभिन्न खसरा नंबरों में द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नक्शा व जमाबंदी में लिपिकीय त्रुटियां हो गई हैं। पुराने खसरा नंबर 83 से नवीन खसरा नंबर 151 व 152 का सृजन करते समय जमाबंदी में रकबा 3.15 हेक्टेयर दर्ज किया गया, परंतु नक्शे में आकृति केवल 2.71 हेक्टेयर दर्शाई गई, जिससे 0.44 हेक्टेयर भूमि कम दर्शा दी गई। इसी प्रकार पुराने खसरा नंबर 82 से बने नवीन खसरा नंबर 149 व 150 में वास्तविक रकबा 3.58 हेक्टेयर के स्थान पर अधिक रकबा दर्ज कर दिया गया। साथ ही, जिन खसरों में पूर्व में कोई रास्ता नहीं था, उनमें गलत तरीके से रास्तानुमा आकृति दर्शा दी गई है। कई स्थानों पर माठ (सीमा) की लंबाई भी पुराने नक्शे के विपरीत अधिक/कम दर्ज कर दी गई है, जिससे सीमा विवाद उत्पन्न हो गया है। अप्रार्थीगण इन त्रुटियों का लाभ उठाकर निर्माण कार्य एवं विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। अतः प्रार्थना है कि पुराने रिकॉर्ड के अनुसार राजस्व नक्शे व जमाबंदी की त्रुटियों का सुधार किया जाए। प्रार्थीगण की भूमि की स्थायी नेखमबंदी (पत्थरगड्डी) करवाई जाए। नेखमबंदी के समय शांति व्यवस्था हेतु पुलिस सहायता प्रदान की जाए। प्रार्थीगण पत्थरगड्डी का नियमानुसार खर्च वहन करने को तैयार हैं। अतः निवेदन है कि उचित आदेश पारित कर राजस्व अभिलेख दुरुस्त करवाने एवं भूमि की स्थायी सीमा निर्धारण की कार्यवाही करवाई जाए।
2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय मे जवाब हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री धवलचंद विश्नोई उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 4अ बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
3. प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा विष्णुनगर, पटवार हल्का बावरला, तहसील सांचोर, जिला सांचौर स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त भूमि (खाता संख्या 149 व 39) में द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नक्शा व जमाबंदी में लिपिकीय त्रुटियाँ हो गई हैं। पुराने खसरा नंबर 83 से बने नए खसरा नंबर 151 व 152 में जमाबंदी में रकबा 3.15 हे. दर्ज है, जबकि नक्शे में 2.71 हे. दर्शाया गया है, जिससे 0.44 हे. भूमि कम अंकित है। इसी प्रकार पुराने खसरा नंबर 82 से बने नए खसरा नंबर 149 व 150 में वास्तविक 3.58 हे. के स्थान पर अधिक रकबा दर्ज कर दिया गया है। कुछ खसरों में गलत तरीके से रास्ता दर्शा दिया गया है तथा सीमाओं (माठ) की लंबाई भी पुराने नक्शे के विपरीत अंकित होने से विवाद उत्पन्न हो गया है। अप्रार्थीगण इन त्रुटियों का लाभ उठाकर निर्माण व विवाद कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि पुराने रिकॉर्ड के

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

अनुसार नक्शा व जमाबंदी की त्रुटियों का सुधार कर भूमि की स्थायी नेखमबंदी (पत्थरगड्डी) करवाई जाए।

4. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से पोषणीय नहीं एवं कानूनी त्रुटियों के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन, बलहीन व अप्रमाणित होने से सादर खारिज किया जावे।

5. हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार मौजा विष्णुनगर के पुराना खसरा संख्या 83 नवीन खसरा संख्या 151, 152 में कोई रास्ता नहीं चलता है, लेकिन सेटलमेंट अधिकारीयों ने पुराने खसरा 82 के नवसृजित खसरा संख्या 180 की भूमि जो प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 152 की सीमा में चलकर रास्तानुमा आकृति सृजित कर दी जो कि मौके पर प्रार्थीगण के खेत में रास्ता नहीं चलता है। उक्त रास्ता आकृति अप्रार्थीगण के नवीन खेत खसरा संख्या 150 जो पुराने खसरा संख्या 82 का भू–भाग होने से 82 के नवीन सृजित खसरा संख्या 150 में ही सृजित होना चाहिए लेकिन लिपिकीय भूल से उक्त खसरा संख्या के रास्तानुमा आकृति को प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 152 में डाल दी है जो गलत है तथा पुराने नक्शे के अनुसार नवीन नक्शें में खेत की सीमाओं को पूर्व रेकर्ड की भांति अभिलिखित परिवर्तित करवाया जाकर उक्त गलतियों का सुधार करवाने बाबत् रेकर्ड दुरस्ती की मांग की है। जबकि जमाबंदी संवत् 2073–2076 के नवीन खाता संख्या 135 के अनुसार खेत खसरा संख्या 150 रकबा 0.08 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता रामलाल दत्तक पुत्र मांगीलाल जाति विश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज है, परन्तु प्रार्थीगण ने रामलाल दत्तक पुत्र मांगीलाल को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है, इसी प्रकार उपरोक्तानुसार पुराने नक्शे के अनुसार नवीन नक्शें में रेकर्ड दुरूस्ती की मांग की है, जबकि प्रार्थीगण ने एक भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो जाने कि द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने नवीन नक्शें को पुराने नक्शें के अनुसार तैयार नहीं कर रास्तानुमा आकृति को प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 152 में डाल दी है। इस प्रकार आवश्यक पक्षकार के अभाव में व प्रार्थीगण द्वारा पुराने नक्शे एवं नवीन नक्शें में मिलान के संदर्भ में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में रेकर्ड दुरूस्ती अनुसार मौजा विष्णुनगर में प्रार्थीगण 1 लगायत 6 के नाम से खातेदारी व मालिकाना हकहकुक कब्जा–काष्त के खेत खसरा संख्या 151 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 152 रकबा 3.10 हैक्टेयर, खसरा संख्या 155 रकबा 4.36 हैक्टेयर भूमि का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा 'अ' में लाल स्याही से चिन्हित अनुसार खेत करने की मांग की है। जबकि जमाबंदी संवत् 2073–2076 के नया खाता संख्या 149 में खेत खसरा संख्या 151 रकबा 0.05 हैक्टेयर है तथा जमाबंदी संवत् 2073–2076 के नया खाता संख्या 39 में खेत खसरा संख्या 155 रकबा 4.36 हैक्टेयर के खातेदार प्रार्थी संख्या 7 लगायत 12 है परन्तु प्रार्थीगण ने उक्त खसरा संख्या 151, 152, 155 के खातेदार प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का होना बताया है इस प्रकार प्रार्थीगण ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि खसरा संख्या 151, 152, 155 के खातेदार कौन–कौन है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण ने क्लीन हैण्ड प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

इसी प्रकार प्रार्थीगण ने खेत खसरा संख्या 151, 152, 155 के माठ की स्थायी नेखलबंदी हेतु पत्थरगढ़ी करने की मांग की है, परन्तु राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे अनुसार उक्त खेतों के चारों पड़ौसान के खातेदारों को पक्षकार नही बनाया है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा पत्थरगढ़ी का आवेदन करने से पूर्व या बाद में पैमाईस रिपोर्ट या मौका रिपोर्ट तलब करवाना आवश्यक है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व या बाद में वादग्रस्त आराजी की पैमाईस रिपोर्ट या मौका रिपोर्ट तलब करवायी हो ऐसा दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में पेश किया हुआ नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 128, 111 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम व अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 128, 111 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम व अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम का आधारहीन व पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सांचौर (जालोर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर